

**उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।**

परिपत्र संख्या सी-12A/ऋण सेल/एल०डी०बी०-4/2020-21 दिनांक-01-12-2020

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबंधक,  
उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :- ऋण प्रार्थनापत्र शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।**

बैंक के परिपत्र संख्या-90/ऋण/2016-17 दिनांक 22.11.2016 के द्वारा ऋण प्रार्थना पत्र का मूल्य रू० 40/- निर्धारित किया गया था। बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 18.11.2020 के अन्य विषय के पारित प्रस्ताव बिन्दु-v के द्वारा बैंक की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत ऋण आवेदनपत्र का मूल्य रू० 40/- के स्थान पर रू० 200/- किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में ऋण आवेदनपत्र का मूल्य रू० 200/- (दो सौ रूपये) निर्धारित किया जाता है। जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 से लागू होगा।



(ए० के० सिंह)  
प्रबन्ध निदेशक

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ उक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीगण, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०/प्रशि० केन्द्र, लखनऊ।
3. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, उ०प्र० को सम्बन्धित शाखा प्रबंधक के माध्यम से प्रेषित।
4. समस्त सहायक आयुक्त/जिला सहायक निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उपायुक्त/उप निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, को आयुक्त एवं निबन्धक महोदय के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मा० सभापति महोदय, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र० कार्या०, लखनऊ को मा० सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सहकारिता, को अपर मुख्य सचिव सहकारिता महोदय, उ०प्र०शासन के अवलोकनार्थ।



प्रबन्ध निदेशक